

EXTRAORDINARY

VOL. LVIII No. 68 SATURDAY, 21ST JANUARY, 2023/01ST MAGHA, 1944 (SAKA)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
No.52/2023/SDR/Vol.1
Dated: 20th January, 2023

NOTIFICATION

In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the elector above the age of 80 years and elector with physical disability (benchmark) as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State and, who requests for voting by postal ballot paper and subject to the verification of his request by Returning Officer concerned, would be a class of persons to give his vote by postal ballot in the ongoing Bye Elections to the Parliamentary Constituency of UT of Lakshadweep and Assembly Constituencies of Arunachal Pradesh, Jharkhand, Tamil Nadu, West Bengal and Maharashtra, to be notified under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-IIIA of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 3786(E), dated 22nd October, 2019, and the directions and guidelines issued by the Election Commission, on the subject.

By Order,

Sd/-(Narendra N. Butolia) Sr. Pr. Secretary

PRICE: 75 PAISE

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 52/2023/एसडीआर/खंड-।

दिनांक: 20 जनवरी, 2023

अधिस्चना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता (बेंचमार्क) वाले निर्वाचक, जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामाविलयों के डाटा बेस में पहले से ही चिहिनत/इंगित किया गया हो, और जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-।।।क, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 3786 (अ.) दिनांक 22 अक्तूबर, 2019 और इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के जिरए यथा-संशोधित, के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित होने वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चल रहे उप निर्वाचनों में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

आदेश से, हस्ताक्षर (नरेन्द्र ना.बुटोलिया) वरिष्ठ प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.52/2023/SDR/Vol.1

Dated: 20" January, 2023

NOTIFICATION

In pursuance of the provisions of clause (c) of Section-60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the Covid-19 suspect or affected person, certified by competent authority, who applies for voting by postal ballot paper, and subject to verification of his request by the Returning Officer concerned, would be a class of persons to give his vote by postal ballot in the ongoing Bye Elections to the Parliamentary Constituency of UT of Lakshadweep and Assembly Constituencies of Arunachal Pradesh, Jharkhand, Tamil Nadu, West Bengal and Maharashtra, to be notified under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-IIIA of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 1964(E), dated 19th June, 2020 read with the directions and guidelines issued by the Election Commission on the subject.

By Order

Sd/-(Narendra N. Butolia) Sr. Pr. Secretary

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 52/2023/एसडीआर/खंड-।

दिनांक: 20 जनवरी, 2023

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा विनिर्देष्ट करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित ऐसे व्यक्ति, जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-।।।क, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 1964 (अ.) दिनांक 19 जून, 2020 के जरिए यथासंशोधित, इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं दिशानिदेशों के साथ पठित, के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित होने वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चल रहे उप निर्वाचनों में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

आदेश से.

हस्ताक्षर

(नरेन्द्र ना.बुटोलिया) वरिष्ठ प्रधान सचिव